

विचार बिन्दु

सनास्त कर्म का लक्ष्य आनंद की ओर है। -टैगोर

अपना घर-आंगन हो, सपना है, छूटना नहीं चाहिए

जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ का दिनांक 13 नवम्बर, 2024 का निर्णय जिसमें बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश दिये हैं, एक अदभुत और पढनीय निर्णय है। आचार संहिता के लिए 'एन कमान्डमेंट' के बाबत सुनते आये हैं। इन्हीं की लाइन पर न्याय के बाबत जानकारी के हेतु 'गीता' पढ़ते हैं। इन्हीं की लाइन पर न्याय के बाबत जानकारी के लिये हमें Direction in the matter of demolition of structures v. and ors., Writ Petition (Civil) No.295/2022 (and connected cases) पढ़ना चाहिये। इस निर्णय में माननीय खण्डपीठ ने अनुच्छेद 21 की कई व्याख्याओं में एक नई व्याख्या जोड़ते हुये कहा है कि Shelter is one of the facets of Article 21 न्याय की विशेषता है कि उसमें जज की आत्मा की आवाज सुनाई दे और निर्णय का यह सनातन पक्ष उक्त निर्णय में प्रतिध्वनित हो रहा है।

मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का यह केस है जिसमें देश के लोगों के साथ, अन्य लोगों ने भी चिन्ता अभिव्यक्त की है।

जस्टिस वी.आर. गवई ने अपने 95 पृष्ठों के निर्णय का प्रारम्भ देश के यशस्वी कवि प्रदीप की कविता से किया है। कविता के लिये कहा गया है हृदय से उसका निस्तारण उस समय होता है जब वेदना पैदा होती है, दिल टूटता है। किसी ने सच कहा है, "आह से निकला होगा गान तभी बनी होगी", कविता 'अनजान'। कविता का पद निम्नलिखित है:-

अपना घर हो, अपना आंगन हो,
इस ख्याब में हर कोई जीता है।

इन्सास में दिल की चाहत है कि घर,
का सपना कभी न छूटे।

ऐसा मालूम होता है न्यायमूर्ति गवई का दिल केस के तथ्यों से रो पडा हो और उस पीडा ने निर्णय को जन्म दिया है जो उल्टीदिलों के लिये भावोंजली है। यह सच है घर सबके लिये सपना है, उनका आश्रय है। उनके सम्मान की निशानी है। आश्रय मौलिक अधिकार है।

इसी बात को संसार के प्रसिद्ध न्यायविद लॉर्ड डेनिंग ने केस (1964) IQB 308 के निर्णय में न्याय सिद्धान्त को अपने घर की महिमा का तथा आश्रय के अधिकार के बाबत कहा था कि गरीब को अपने घर में रहने का अधिकार है, चाहे घर की छत इतनी कमजोर हो कि छोटा तूफान भी उसे झकड़कर दे, चाहे वर्षा का पानी घर में घुस जावे किन्तु बादशाह की फौज भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती जब तक देश का कानून प्रवेश को न्याय संगत न माने।

बुलडोजर के एक्शन पर सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट याचिकाओं पेश की गई थी उसमें निर्णय के लिये विवाद था कि क्या अपराधी (Accused) की सम्पत्ति को तोडा (Demolish) जा सकता है। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यपालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी के आशियाना को सजा देने की निवृत्त से दबा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शोध पत्र पेश कर कहा था कि अचल सम्पत्ति/Immovable property can be demolished only in accordance with the procedure prescribed by law अर्थात् घरों को तोडफोड नियमों की पालना कर की जावेगी। माननीय खण्डपीठ ने फैसले में यही कहा है कि यदि लोगों के घर सिर्फ इस्लिये माल (टोड) दिये जायें कि व्यक्ति आरोपी या दोषी है तो वह असंवैधानिक है। खण्डपीठ ने माना कि संविधान और क्रिमिनल कानूनों के अनुसार आरोपियों और दोषियों के भी अधिकार होते हैं। निर्णय में कहा कि कार्यपालिका जज नहीं बन सकती। बदले की कार्यवाही के हेतु भी वह किसी भी अचल सम्पत्ति घर या दुकान को बुलडोजर द्वारा नष्ट नहीं कर सकती।

पीठ ने माना है बुलडोजर से सम्पत्तियों को तोडना, दहाना अराजकता का कृत्य है। ऐसे कृत्यों के लिये कानून व संविधान में कोई जगह नहीं है। यह कृत्य कानून के शासन पर हमला माना जावेगा, क्षमा योग्य नहीं है। यह कृत्य कानून की आत्मा पर चोट देता है। राज्य का काम तो सबको सुरक्षा प्रदान करना है। घर व्यक्ति अथवा परिवार जनों की आशा है, उनका सुरक्षा कवच है। केवल इस आधार पर मकान/दुकान तोडना कि व्यक्ति किसी अपराध का दोषी है यह कृत्य Due Process of Law की परिभाषा में नहीं आता। न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से अपने निर्णय में लिखा है कि सजा के नाम पर किसी का आशियाना तोडना/छीनना हमारे लोकतंत्र के संविधान के विरुद्ध है।

यदि हम 95 पृष्ठ के इस ऐतिहासिक निर्णय को पढ़ें तो पायेंगे कि न्यायालय के समक्ष कई केस प्रस्तुत किये गये थे, जिनमें घर व दुकान को नष्ट करने से, बिना किसी विवेक के, अक्रमण करी बनकर दहया गया था। जिन लोगों के घर तोड़े हैं उनमें जावेद मोहम्मद का केस भी है। घटना 10 जून 2022 की है जब जावेद मोहम्मद को नेता नुर्रु शर्मा विवाद में विरोध प्रदर्शन के समय हिंसा भडकाने के साक्ष्यकर्ता होने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। तब दो दिन बाद ही बुलडोजर एक्शन हो गया। एक अन्य केस उदयपुर का है एक स्कूल छात्र का मामला है, उसने अपने सहपाठी की चाकू मारकर हत्या की थी। फलस्वरूप दंगा (Riot) हो गया। जिला प्रशासन ने स्कूल छात्र का घर तोड दिया।

दिल्ली के गणेश व रतलाम का मजदूर जावेद व शौद आदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से खुश है, उन्हें मुआवजे की उम्मीद थी, किन्तु कोर्ट के निर्णय में मुआवजों के बाबत कोई निर्देशन है। हाँ, जस्टिस चन्द्रचूड ने एक केस में 25 लाख का हर्जा दिलाया है। उपरोक्त कुछ घटनाओं का उल्लेख है। घटनायें बहुत हैं। घटनायें हृदय विदारक हैं। आत्मा को झकड़कर देती हैं। अपना घर होना व्यक्ति का सपना है, उसका छीना जाता उसके लिये मृत्यु जैसा है। सरकार का यह कार्य मानाशाही कृत्य है। लोकतंत्र में यह दुर्भाग्य की घटना है। जस्टिस चन्द्रचूड ने अपने अन्तिम निर्णय में अपने मत को समर्थन देने के लिये संविधान के अनुच्छेद 300ए को सम्पत्ति के अधिकार के बाबत है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के अधिकार के बिना व्यक्ति को सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जावेगा।

देश में सरकारी जमीन, राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत आदि में टमेज रहती है। ऐसी भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को ट्रेसपासर माना गया है और कानून के माध्यम से ट्रेसपासर को जमीन से बेदखल करने का प्रावधान है और अधिकार। अतः खण्डपीठ ने माना है कि अवैध कब्जे व अवैध निर्माण को हटाना जा सकता; किन्तु यह उसी समय वैध होगा जब कानून में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही हो अन्त्या नहीं। अपने निर्णय के पैरा 9 में इस विधि को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि "हमारा आदेश उस परिस्थिति में लागू नहीं होगा यदि अवैध निर्माण पब्लिक प्लेस, यानी सडक, स्ट्रीट, फुटपाथ, रेलवे लाइन्स सटी जमीन, नदी या वाटर बॉडीज (जल निकाय) की जमीन पर हो, अथवा तोडने का आदेश, किसी न्यायालय ने दिया हो।"

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि कई नगर पालिका यानी स्वायत्त शासन की संस्थाओं जैसे जयपुर डेवलपमेंट ऑथोरिटी एक्ट के कानूनों में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर बिना अनुमति लिये तामीर करता है और ऐसी तामीर को बने 10 वर्ष का समय हो चुका है, तो तोडा नहीं जावेगा। चूंकि निर्णय में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं है अतः इस विशेष स्थिति का यहाँ उल्लेख किया गया है। वस्तुतः पैरा 6 के पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुलडोजर जस्टिस का मामला केवल सरकारी जमीन पर किये गये Structure (निर्माण) पर ही लागू होगा। अपनी जमीन पर बिना इजाजत तामीर का मामला भिन्न परिस्थिति है। नगर पालिका कानूनों में इस हेतु प्रावधान है।

बुलडोजर न्याय का मामला सरकारी जमीन पर की गई तामीर से सम्बन्ध रखता है। इस बाबत कोई सीधा कानून नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति होती है, तो संविधान में न्याय करने के हेतु यह प्रक्रिया दी है कि वह तत्समन्वय में निर्देश जारी करे। संविधान के अनुच्छेद 142 में यह व्यवस्था है। इस प्रावधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल व अन्य पीटीशनर्स अनुच्छेद 32 के तहत दर्ज रिजिस्टर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में रिट पीटीशन नं. 295/2022 (व अन्य) तामीर को तोडने के बाबत दर्ज रिजिस्टर की गई है। खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 2.9.2024 से सभी पक्षकारों को अपने अपने सुझाव देने के हेतु आग्रह किया। पीठ ने सुझावों को नचिकेता जोषी, एडिशनल एडवोकेट जनरल, मध्यप्रदेश को भेजने के लिये कहा। उनसे कहा कि वे प्राप्त सुझावों को पीठ को इकट्ठा कर भेजेंगे। श्री नचिकेता ने प्राप्त सुझावों को कम्पाइल कर न्यायालय को भेजा। कई प्रकार के सुझाव जनता ने भेजे हैं। सभी ने आशियाना तोडने का विरोध किया। किसी ने कहा परिवार के एक आदमी की गलती के कारण अन्य सभी परिवार के सदस्यों को बेघर नहीं किया जावे। किसी ने कहा बिना कारण बताओ नोटिस के घर तोडना अनुचित है। प्रायः सभी ने कहा बिना सुनवाई का अवसर दिये घर/दुकान से बेदखल करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना है। किसी ने कहा जो अफसर मनमाने ढंग से घर गिराता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जावे उसकी जिम्मेदारी तय होना चाहिये और उसके खर्चे से दुबारा बनवाना चाहिये। कई ने कहा किसी भी परिवार के लिये घर एक सपना है, वह कई सालों की मेहनत का फल है। घर मूलभूत अधिकार है। परिवार की महिलायें व बच्चे सडक पर आ जावें यह अनुचित है। अवैध निर्माण गिराने में पक्षपात नहीं होना चाहिये। किसी ने सुझाव दिया कि सजा के नाम पर घर तोडना असंवैधानिक है उचित नहीं है। तोडने के लिये यह बतलाना होगा कि पूरा घर तोडना ही विकल्प था। तोडने से पहले नोटिस देना व पर्याप्त समय देना उचित प्रक्रिया होगी।

संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने जो निर्देश अनुच्छेद 142 के तहत जारी किये हैं वे निम्नलिखित हैं:-

- निर्माण को ध्वस्त करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जावे। यह नोटिस 15 दिन का होना चाहिये।
- नोटिस की प्रति रिजिस्टर्ड थक से जावे तथा दूसरी प्रति सम्पत्ति के बाहर चरपा की जावे।
- नोटिस में स्पष्ट किया जावे कि अवैध निर्माण की प्रकृति का क्या आधार है।
- संबंधित प्राधिकारी मालिक को अपना पक्ष रखने का अवसर दे। इसका विवरण सरकार रेकार्ड में लिखा जावे।
- सम्पत्ति तोडने का अन्तिम नोटिस जारी करते समय अधिकारी मकान मालिक द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों का विवरण दे।
- अवैध निर्माण तोडने की वीडियोग्राफी की जावे। रिपोर्ट निकाय पोर्टल पर डाली जावे।
- दिशा निर्देशों की पालना न करने पर उसे अदालत की अवमानना मानकर कार्यवाही हो।
- अधिकारी को बतलाया जावे कि गलत तरीके से अथवा दुर्भावना से की गई कार्यवाही में लिप्त पाये जाने पर तोडी गई सम्पत्ति का पुनः निर्माण उन्हें कराना होगा। क्षतिपूर्ति भी करनी होगी तथा व्यक्तिगत हर्जाना भी देना होगा।
- एक भाग अनाधिकृत है तो यह बतलाना होगा कि पूरी सम्पत्ति को ध्वस्त करना एक मात्र विकल्प क्यों है।
- सम्पत्ति दहाने के आदेश के विरुद्ध कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अवसर मिलना चाहिये।
- अवैध निर्माण गिराने में पक्षपात नहीं होना चाहिये। सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

भारत एवं इटली के मध्य सांस्कृतिक सेतु थे डॉ. एल.पी. टैसिटोरी

22 नवंबर को डॉ. एल. पी. टैसिटोरी की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि



डॉ. दुलीचंद मीणा

इटली के फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में लुई द इंडियन के नाम से मशहूर एल पी टैसिटोरी ने अपने गुरुदेव शास्त्र विशारद जैनाचार्य श्री विजय धर्म सूरी को लिखे पत्र में लिखा कि, "मैं भारतवर्ष इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं भारतवासियों, यहाँ की भाषा एवं साहित्य से प्रेम करता हूँ। मैं अभी तक कुंभार हूँ इस वक्त मैं 25 वर्ष का हूँ। मैं भारतीय लड़की के सिवाय किसी दूसरी से शादी नहीं करूँगा।" डॉ. टैसिटोरी के उक्त विचार भारत एवं राजपूताना के प्रति उनकी आस्था एवं प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। राजस्थानी भाषा के महत्त्व को स्वीकार करने वाले डॉ. टैसिटोरी पहले विदेशी विद्वान थे जिन्होंने राजस्थानी की मुक्त कंठों से इन शब्दों में प्रशंसा की-

"मैंने जितने प्रेम म्हारी मातृभाषा इटालियन सूँ है, उण सूँ बेसी राजस्थानी सूँ है,

कारण इण में बळ है, तेज है, ओज है, मिठास है, अर आ बड

परवार भासा है।"

राजस्थान के इतिहासकारों में जो स्थान कर्नल टॉड का है, वही स्थान राजस्थान के साहित्यकारों में डॉ. लुईजियो टैसिटोरी का है। डॉ. टैसिटोरी का जन्म 13 दिसम्बर, 1887 को उदीने (इटली) में हुआ। उदीने में अपनी हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद टैसिटोरी ने फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने भाषा विज्ञानी ग्राजियाडियो इसिया एस्काली से प्रभावित होकर संस्कृत पाठ्यक्रम में दाखिला लिया तथा संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर पाओलो एमोलियो पावोलिनी के निर्देशन में "तुलोसीदास की रामचरितमानस एवं वाल्मीकि रामायण" का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जिस पर उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। पहले यह शोध-प्रबंध इतालवी भाषा में तथा बाद में अंग्रेजी में 'इण्डियन एंटीक्वेरी' के दो भागों में प्रकाशित हुआ। प्राच्य भाषाओं के महान विद्वान डॉ. ग्रियर्सन डॉ. टैसिटोरी की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भारत सरकार को भारतीय रियासतों के मध्यकालीन इतिहास तथा वीरगाथा काव्य के शोध हेतु डॉ. टैसिटोरी की सेवाएं प्राप्त करने की सिफारिश की। डॉ. ग्रियर्सन की सिफारिश पर ऐशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता द्वारा डॉ. टैसिटोरी को चारपी एवं ऐतिहासिक शोध सर्वेक्षण कार्य का अधीक्षक के पद पर नियुक्त पत्र जारी किया।

यूरोप में जब प्रथम विश्वयुद्ध के बादल मंडरा रहे थे तब डॉ. टैसिटोरी

12 मार्च, 1914 को नेपल्स से यूरोपियन जलयान 'रोम' से रवाना होकर बम्बई होते हुए 11 अप्रैल, 1914 को कलकत्ता पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऐशियाटिक सोसायटी को पत्र लिखकर राजपूताना में जाकर राजस्थानी भाषा का अध्ययन करने का आवेदन किया गया जिसे स्वीकार कर लिया गया। बीकानेर के महाराजा श्री गंगासिंह के आमंत्रण पर टैसिटोरी जोधपुर होते हुए बीकानेर पहुँचे। वहाँ उन्हें पहले 4 महीने तथा बाद में एक वर्ष के लिए बीकानेर राज्य में रखा गया।

महाराजा गंगा सिंह ने उन्हें दरबार की लाईब्रेरी के काव्य व ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन कर भविष्य के लिए कार्ययोजना बनाने का काम सौंपा गया। राजस्थान व राजस्थानी भाषा के प्रति टैसिटोरी के रंग-रंग में प्रेम भरा हुआ था। उन्होंने डिंगल साहित्य की अपूर्व सेवा की। उन्होंने डिंगल साहित्य की अमूल्य निधि 'वचनिका राठौड़ रतनसिंह जी री महेश दासोत खिडिया जगरी कही', 'बेलि क्रिसन रुकमणी री', 'छन्द राव जैतसी री' का संपादन किया और ऐशियाटिक सोसायटी से उन्हें प्रकाशित करवाया। राजस्थानी भाषा की दृढ़ाड़ी बोली के ग्रंथ कर कुंडरी कथा का इटालियन भाषा में अनुवाद कर संपादन किया। श्री तैसिटोरी ने अपभ्रंश, गुजराती व राजस्थानी भाषा का सांगोपांग अध्ययन किया जिसके आधार पर 'प्राचीन पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण' शीर्षक से एक शोध निबंध लिखा। जिसकी प्रशंसा में प्रसिद्ध भाषाविद डॉ. सुनील कुमार चटर्जी ने लिखा है कि,



जैनाचार्य श्री विजय धर्म सूरी के साथ

पुरानी राजस्थानी, उच्चारण, रीति, रुपतत्व और वाक्य रीति के पूरे विचार के साथ तैसिटोरी की आलोचना ऐसी महत्वपूर्ण है कि इसे मारवाड़ी तथा भाषा-तत्व की बुनियाद यदि कहा जायें तो अत्युक्ति न होगी। डॉ. नामवर सिंह ने इस निबंध का हिंदी में अनुवाद कर हिन्दी पाठकों के लिए सुरमय बनाया है। डॉ. टैसिटोरी भाषा शास्त्री के साथ-साथ अपनी पुरातात्विक पारखी

दृष्टि से ऐतिहासिक एवं पुरातत्वविद भी साबित हुए हैं। उन्होंने अपने अन्वेषण में मृग मूर्तियाँ, प्रस्तर प्रतिमाओं, शिलालेखों व मुद्राओं का संग्रह किया जो बीकानेर के राज्य संग्रहालय में संग्रहित है। उन्होंने पुरातात्विक अवशेष रंगमहल, मालिखेडी, बडोपल, कालीबंगा व पोलिबंगा आदि...

-डॉ. दुलीचंद मीणा, आर.ए.एस.

पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने पैदल यात्रा पर निकले विराग मधुमालती उदयपुर पहुंचे

उदयपुर, (कासं)। सौ दिन तक खुद की आँखों पर पट्टी बांधकर नेत्रदान की जागरूकता फैलाने के बाद अब नवी मुंबई से विराग मधुमालती पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश देने के लिए 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा ग्रीन वॉकिथोन पर निकले हैं। विराग 961 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करने के बाद बुधवार को उदयपुर पहुंचे। गायक विराग नवी मुंबई से 14 सितंबर को निकले थे जो नाकोड़ा जी तक जाएंगे। उदयपुर पहुंचने के साथ उन्होंने 24 घंटे लगातार 111 किलोमीटर पैदल चलकर पर्यावरण के जागरूकता हेतु इतिहास रचते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में नाम दर्ज करवाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर विराग इससे पहले पांच बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर भारत का मान बढ़ा चुके हैं।

उदयपुर पहुंचे विराग ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि वे मंदर अर्थात् मिशन के जरिये उनका लक्ष्य 1 लाख पेड़ लगाने का है और अब तक उनका टीम 31000 से ज्यादा पेड़ लगा चुकी है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 14 सितंबर को नवी मुंबई से शुरू हुई थी जो नाकोड़ा भैरव देव के दर्शन के साथ विराग लेगी। इस 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा में उनकी पत्नी वंदना वानखेड़ी भी साथ हैं जो पूरी टीम की व्यवस्थाएं संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि वे एक पारसंगायक गायक हैं ऐसे में नवी मुंबई से शुरू इस पैदल यात्रा के दौरान सुबह चलाया शुरू करते हैं और जहां मुकमिल हैं वहां वृक्षारोपण करते हैं। इसी के साथ रात्रि



पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते विराग मधुमालती।

विश्राम के दौरान भक्ति संगीत के माध्यम से आसपास के लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित करते हैं। पर्यावरण रक्षा के लिए उन्होंने आजीवन प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीने का भी संकल्प लिया है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा का संकल्प ले चुके विराग की पत्नी वंदना

ने बताया कि इससे पहले भी वे नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक कर चुके हैं। एक बार उनकी मुलाकात एक दुष्टिबाधित गायक से हुई थी उसके बाद उन्होंने भी 100 दिन तक अपनी आँखों पर पट्टी बांधे रखी। वे आँखों पर पट्टी बांधकर ही कई जनजातों के कार्यक्रम करते थे। इस दौरान उनकी तबियत खराब हो गई और आँखों की

नवी मुंबई से विराग मधुमालती पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश देने के लिए 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा ग्रीन वॉकिथोन पर निकले हैं।

पट्टी ना खोलने पर आजीवन अंधे हो जाने की नौबत आ गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 100 दिन के बाद ही पट्टी खोली और नेत्रदान के लिए लगातार जागरूकता फैलाते रहे। मूल रूप से सिविल इंजीनियर विराग शास्त्री संगीत के अध्येता भी हैं। वे आज भी शास्त्री संगीत के नियमित रियाज के साथ ही पारसंगायक, गीतकार, संगीत निर्देशक, प्रोड्यूसर और फिल्म निर्देशक भी हैं। उनका नवी मुंबई में ग्रैंडक्शन हाउस है, जहां पर फिल्म से जुड़े सभी कार्य करते हैं। वे एक गुरुकुल की स्थापना भी करने जा रहे हैं जहां फिल्म और संगीत से जुड़ी वारिकियों का ज्ञान देने के साथ ही युवाओं को इंडस्ट्री में अवसर प्रदान किया जाएगा।

सरकारी स्कूलों के 12 हजार टीचर्स का प्रमोशन

बीकानेर, (निस्)। शिक्षा विभाग ने 11 हजार 911 टीचर्स को प्रमोट कर दिया है। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग मुख्यालय पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा विभाग में शीर्ष सभी पदोन्नति (डीपीसी) करने के निर्देशों के बाद आज विभाग में 11 हजार 911 कार्मिकों की पदोन्नति सूची जारी की

गई। जारी की गई पदोन्नति सूची में 88 उपाचार्य, 485 प्रधानाध्यापक, 24 उप जिला शिक्षा अधिकारी, 20 पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड-1, 3564 प्राध्यापक (विभिन्न विषय) वर्ष 21-22 तथा 6966 प्राध्यापक (विभिन्न विषय) वर्ष 22-23 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 663 शारीरिक शिक्षक और 93 पुस्तकालय अध्यक्ष शामिल हैं।

शिक्षा विभाग में डीपीसी पिछले काफी से समय से लंबित थी, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री चिंतित थे तथा अधिकारियों

को डीपीसी तुरंत करने के निर्देश दिए थे। इससे सबके टिचर्स मिलेंगे, प्रिंसिपल और लेक्चरर की कमी दूर होगी।

प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि डीपीसी की प्रक्रिया अभी रूकेगी नहीं तथा विभाग में शेष रही पदोन्नति की सूचियां भी शीघ्र ही जारी की जाएगी। इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पदोन्नत हुए सभी कार्मिकों को शीघ्र ही पदस्थापन कर दिया जाएगा।

राशिफल शुक्रवार 22 नवंबर, 2024



पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2081, आश्लेषा नक्षत्र सायं 5:10 तक, ब्रह्म योग दिन 11:33 तक, बव करण सायं 6:08 तक, चन्द्रमा आज सायं 5:10 से सिंह राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरु-वृष, शुक-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज रवियोग सायं 5:10 तक है। आज से राष्ट्रीय मार्गशीर्ष मास आरम्भ होगा। सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:15 तक, लाभ-अमृत 8:15 से 10:54 तक, शुभ 12:13 से 1:32 तक, चर 4:11 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:56, सूर्यास्त 5:30

मेष - घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक-सांख्यिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

सिंह - घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। मन में असंतोष बना रहेगा।

धनु - अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन एवं आवश्यक कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य विगड़ सकते हैं। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मकर - परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मौलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृष - परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवर्तनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कन्या - आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

कुम्भ - व्यावसायिक कार्यों के संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। नौकरपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। अटके हुए कार्य बने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मिथुन - आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बने लगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

तुला - व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटक हुए कार्य बने लगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मकर - परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मौलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

कर्क - मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके आवश्यक कार्य योजनानुसार बने लगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

वृश्चिक - नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बने लगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्त अभी बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मौलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन - परिवर्तनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। आवश्यक वाद-विवाद टालना ठीक नहीं रहेगा। ज्ञान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।